भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1114

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2022

24 अग्रहायण, 1944 (शक)

प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार

1114 श्री नीरज डांगीः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष सम्मान और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खिलाड़ियों के लिए घोषित और उन्हें दिए गए नकद पुरस्कार की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कई प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भुला दिए गए इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) जी हां । सरकार ने निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष सम्मान और नकद पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है :

i. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों के लिए नकद पुरस्कार की स्कीम

   इस स्कीम के अंतर्गत खिलाड़ी को 20,000/- रु. से लेकर 75,00,000/- रु. तक का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ii. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

   (1) मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को 25 लाख रु. की पुरस्कार राशि दी जाती है ।

(2) अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 15 लाख रु. की पुरस्कार राशि दी जाती है ।

(3) ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रु. की पुरस्कार राशि दी जाती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खिलाड़ियों के लिए घोषित और दिए गए नकद पुरस्कारों की मात्रा नीचे दी गई है :

क्र.सं.	वर्ष	नकद पुरस्कार की राशि (रु. में)
1	2019-20	44,96,82,500
2	2020-21	15,44,74,707
3	2021-22	41,51,00,000
4	2022-23	36,23,75,000 (30.11.2022 की स्थिति के अनुसार)

(ग) और (घ): प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से हैं :

i. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए वार्षिकी के माध्यम से निश्चित मासिक आय प्रदान करना है, जो इस तथ्य के कारण अनिवार्य हो गया है कि खिलाड़ी गहन प्रशिक्षण के लिए अपने युवावस्था का मुख्य समय व्यतीत करते हैं, सामान्य रूप से उपलब्ध अन्य लाभकारी अवसरों का त्याग करते हैं । निश्चित मासिक आय उनकी उच्च महत्वाकांक्षा और खेलों में उपलब्धि हासिल करने के लिए उनके द्वारा गवाएं गए अवसरों का मुआवजा होगा । इस स्कीम के अंतर्गत पूर्व खिलाड़ियों को 12,000/- रु. से 20,000/- रु. तक मासिक पेंशन प्रदान की जाती है ।

ii. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्ल्यूएफएस): इस स्कीम का उद्देश्य आर्थिक बदहाली में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चिकित्सा उपचार, उपकरणों की खरीद आदि के लिए सहायता प्रदान करना है । इस स्कीम के अंतर्गत खिलाड़ी/ परिवार के सदस्य को इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार 2,00,000/- रु. से लेकर 10,00,000/- रु. तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

****